न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 97/2019

प्रार्थीः–		बनाम		अप्रार्थीः–
1.	भुण्डाराम पुत्र केराराम जाति सीरवी, निवासी सारंगवास, तह0 सोजत जिला पाली।		1.	सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी एवं श्री दिलीप चौधरी अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 17.09.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता केराराम एवं सह खातेदारान की संयुक्त कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 102 की कृषि भूमि ख0न0 476, 477 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.6300 हैक्टर, किस्म बा0अ0 वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिता केराराम एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। प्रार्थी के पिता का नाम केराराम है। प्रार्थी के पिता केराराम वल्द नारायण व भाई दीपाराम वल्द नारायण ने दिनांक 26.06.1968 को जरिए बेचान पंजीयन से खरीद की थी, जिसका नामान्तरण संख्या 109 सही दर्ज किया। सम्वत् 2027 से 2030 चौशाला जमाबंदी मे भी सही दर्ज है। गत खसरा संख्या 214 रकबा साढे चौदह बीघा चार बिस्वा कृषि भूमि के खसरा मिलान के अनुसार खसरा नम्बर 476 रकबा 1.2200 हैक्टर, खसरा नम्बर 477 रकबा 1.4100 हैक्टर को राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान सैंटलमेंट दौरान प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से भुलवंश केराराम के स्थान पर केसा दर्ज हो गया है। जो एक लिपिकीय त्रुटि है, जो गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी के पिता का सही नाम केराराम ही है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी की वल्दियत केराराम ही लिखा हुआ है। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 29.07.2000 को हो गया है। प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी केराराम के नाम से जारी है। यदि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम केसाराम के स्थान पर केराराम शुद्धि की जाती है तो अन्य सह खातेदारान का कोई हित प्रभावित नही होता है। इसलिए अन्य सहखातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार अप्रार्थी नही बनाये गये है। प्रार्थी का उक्त गलत नाम दर्ज होने की सर्वप्रथम जानकारी कृषि अनुदान सहायता राशि लेने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में जाने पर जानकारी में आया कि राजस्व रेकर्ड में केसाराम वल्द नारायणलाल के नाम से दर्ज है। तब प्रार्थी ने वादस्थ कृषि भूमि के कागजात तहसील कार्यालय एवं जिला कलक्टर कार्यालय पाली से प्राप्त करने पर पूर्ण जानकारी मे आया कि पटवारी हल्का द्वारा सहवन से एवं भूलवश

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

केराराम के स्थान पर केसाराम दर्ज हो गया। जिसे पुनः शुद्धि करने हेतु न्यायालय हाजा में प्रा0 पत्र पेश किया है। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि मे केसाराम वल्द नारायणलाल के स्थान पर केराराम वल्द नारायणलाल के नाम से शुद्धि किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाव प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 04.03.2020 को पेश कर प्रा0 पत्र में वर्णित बिन्दु 1 के तथ्यों को स्वीकार कर तथा 2, 3 स्वयं सिद्ध करना व 4, 5, 6 बिन्दु कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत हरियामाली द्वारा जारी केराराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित जमाबन्दियॉं क्रमशः सम्वत् 2074–77, 2027–30, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 26.06.1968 की नामान्तरण 108 की छायाप्रतियां पेश की, सा0मि0 है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में तत् समय सहखातेदार के पुत्र बींजाराम पुत्र दीपाराम जाति सिरवी निवासी सारंगवास का तस्दीक सुदा शपथ पत्र अधिवक्ता प्रार्थी ने पेश किया है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्तागण प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 102 की कृषि भूमि ख0न0 476, 477 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.6300 हैक्टर, किस्म बा0अ0 के साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज केसाराम वल्द नारायणलाल के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से केराराम वल्द नारायणलाल दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत तत् समय सहखातेदार के पुत्र बींजाराम पुत्र दीपाराम के तस्दीक सुदा शपथ पत्र मय अन्य मृत्यु प्रमाण पत्र, ना0स0 108 एवं पंजीबद्ध विक्रेय विलेख आदि दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित तथ्यों की प्ररतुत दरतावेजता से संपुष्टि होने से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा ग्राम पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 102 की कृषि भूमि ख0न0 476, 477 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.6300 हैक्टर, किरम बा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटिवश गलत रूप से दर्ज केसाराम वल्द नारायणलाल के स्थान पर सही व वास्तविक नाम की संपुष्टि हो जाने से

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

केराराम वल्द नारायणलाल दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम पिपलाद तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 102 की कृषि भूमि ख0न0 476, 477 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.6300 हैक्टर, किस्म बा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज केसाराम वल्द नारायणलाल के स्थान पर सही व वास्तविक नाम की संपुष्टि हो जाने से केराराम वल्द नारायणलाल नाम की दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner